न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 47/2022 | तारीख रजू 27.7.2022 | तारीख निर्णय 18-6-2025

चिरंजी पुत्र विजयलाल, माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र कल्याण, माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा
2. भरतलाल पुत्र कल्याण, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् दिलवाए जाने रास्ता
तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी चिरंजी पुत्र विजयलाल माली निवासी नौगांव ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 773 रकबा 0.63 है0 ग्राम नौगांव में स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 787 रकबा 0.92 है0 में होकर है जिस पर प्रार्थी पचासो साल पूर्व से अपने ट्रेक्टर ट्रोली, जानवर इत्यादि अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के उपयोग में लेता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का जुज है। दिनांक 26.6.2022 को उक्त रास्ते की भूमि में से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 773 में ट्रेक्टर लेकर जोत लगाने के लिए जा रहा था तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को रोक लिया तथा आगे जाने से मना किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 773 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 767 में होकर है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी डी0एल0सी0 रेट के मुताबिक उक्त भूमि की राशि अदालत हाजा में जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 773 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 767 में से 15 फीट चौडा एवं 205 फीट लम्बाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान तक दिलाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान तक अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि में से 15 फीट चौडाई एवं 205 फीट लम्बाई में रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 रेट के मुताबिक प्रार्थी से राशि जमा करवाई जाकर नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान को रास्ते की भूमि गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:30:06 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौके की स्थिति बाबत् विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि उक्त भूमि को आवेदक मिन जबाबदारान की भूमि मे से रास्ता लेकर किसी दीगर व्यक्ति को ऊँचे दामों में विक्रय करना चाहता है। इसी उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मिन जबाबदारान ने प्रार्थी को ख0न0 767 रकबा 0.92 है0 मे से आने जाने के लिए कभी रोकटोक नही की है। प्रार्थी एवं अन्य सभी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार मिन जबाबदार की खातेदारी भूमि ख0न0 767 मे से अपने खेतों मे आते जाते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 20.6.22 का वाक्या गलत दर्ज किया है, मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से गलत तथ्य अंकित किया है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मिन जबाबदारान को आवेदक से डीएलसी दर से दुगुनी राशि दिलवायी जावे अथवा उसी नाप एवं क्षेत्रफल की कृषि भूमि जबाबदारान को आवेदक से दिलवायी जावें। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध मिन जबाबदारान खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जामाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 174 ग्राम नौगांव, खाता संख्या 267 ग्राम नौगांव, नजरी नक्शा ट्रेस, डीएलसी दर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/22/2202 दिनांक 23.09.2022 के साथ पटवारी हलका नौगांव की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2022 मय नजरी नक्शा, डीएलसी रेट भिजवाए हैं।

अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार, गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 768 खातेदारी भूमि तथा ख0न0 936 जो कि गैर मुमकिन नला है मे होकर [illegible] है। पूर्व मे ख0न0 773 मे होकर रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। व[illegible] भूमि कृषि कार्य हेतु काम मे आ रही है। रास्ते हेतु लम्बाई [illegible] मीटर एवं [illegible] 4.57 मीटर भूमि की आवश्यता है। भूमि का उपयो[illegible] किया जा रहा है। पूर्व मे बने रास्ते की भूमि [illegible] के कारण पूर्व रास्ते का उपयोग बंद है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक खाता [illegible]या उपलब्ध नही कराया गया है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए उसके खातेदारी भूमि ख0न0 773 मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

की खातेदारी भूमि ख0न0 767 मे होकर रास्ते की मांग की है। इस हेतु निर्धारित डीएलसी दर से राशि भुगतान कर दिये जाने का भी विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि रास्ते के रूप मे चाही जा रही है उतनी भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे से अप्रार्थीगण को दिलायी जावे। यदि अदालत भूमि दिलाना आवश्यक नही समझे तो प्रार्थी को आज की तारीख की डीएलसी दर से दोगुनी राशि प्रार्थी से दिलवायी जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम नौगाव खाता संख्या 174 के अनुसार भूमि ख0न0 773 रकबा 0.63 है0 प्रार्थी चिंरजी पुत्र विजयलाल माली की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 267 के अनुसार भूमि ख0न0 767 रकबा 0.92 है0 ग्राम नौगांव अप्रार्थीगण पृथ्वीराज व भरतलाल हिस्सा 1/2–1/2 की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम दूरी की रास्ता ख0न0 768 खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 936 गैर मुमकिन नाला मे होकर पडता है। पूर्व मे ख0न0 773 मे होकर रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान मे भूमि कृषि कार्य हेतु काम मे आ रही है, अकृषि के लिए उपयोग नही किया जा रहा है। रास्ते हेतु भूमि की लम्बाई 62.5 मीटर एवं चौडाई 4.57 मीटर है। अपनी रिपोर्ट मे तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नोट अंकित किया है कि खातेदार भूमि तक पहुचने हेतु ख0न0 768 जो कि खातेदारी भूमि है मे होकर रास्ता चाहता है जिसके आगे ख0न0 936 है जो कि गैरमुमकिन नला है। प्रार्थी द्वारा ख0न0 767 मे होकर रास्ता चाहा गया है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा व तहसीलदार द्वारा ख0न0 768 अंकित किया गया है जबकि रिपोर्ट के साथ जो नक्शा पटवारी हल्का द्वारा लगाया गया है उसमे प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाली ख0न0 मे से रास्ते का ख0न0 767 अंकित है। इस प्रकार अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा रास्ता ख0न0 767 मे चाहा गया है परन्तु सहवन से तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट ख0न0 768 की गई है। अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी द्वारा ख0न0 767 मे से चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध मे कोई [illegible] नही किया है बल्कि अप्रार्थीगण ने रास्ते के बराबर की भूमि अथवा [illegible] डीएलसी रेट की दुगनी राशि की मांग की है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 767 मे से 62.5 मीटर लम्बाई एवं 4.57 मीटर चौडाई का रास्ता भूमि ख0न0 773 मे आने जाने के लिए दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:35:09
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

को उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 773 रकबा 0.63 है0 ग्राम नौगांव में पहुंचने के लिए पटवारी हलका नौगांव द्वारा नजरी नक्शा में लाल रंग की डोटेड लाइन से दर्शित ग्राम नौगांव की भूमि ख0नं0 767 में चौडाई 4.57 मीटर x लम्बाई 62.5 मीटर कुल 285.62 वर्गमीटर भूमि नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पटवारी हलका नौगांव द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से कम की जाकर गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

भूमि ख0नं0 767 की किस्म बारानी 3 है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 650000/– रूपये प्रति है0 है। पटवारी हलका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0नं0 767 में 285.62 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए भूमि के खातेदार पृथ्वीराज पुत्र कल्याण, माली हिस्सा 1/2, भरतलाल पुत्र कल्याण, माली हिस्सा 1/2 को रू0 18566/– का दो गुना राशि रू0 37132/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

चूंकि अप्रार्थीगण ने अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराए हैं अतः उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के बैंकर चैक प्रार्थी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित खातेदारों के नाम बनवाकर भुगतान हेतु तहसीलदार तलावडा के कार्यालय में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार तलावडा को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-6-25 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested